Neutral Citation No. - 2025:AHC:42971-DB

न्यायालय संख्या – 42

वाद – आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या – 16278 सन् 2024

याचिकाकर्ता – मोहम्मद इमरान और 2 अन्य

प्रतिवादी – उत्तर प्रदेश राज्य तथा 3 अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता – इसरत अली, सुभाष चंद्र मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता – शासकीय अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति महेश चन्द्र त्रिपाठी

माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान विद्वान अधिवक्ता और राज्य प्रतिवादियों के विद्वान अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता को सुना।

2. यह रिट याचिका दिनांक 04.08.2024 की विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है, जो केस क्राइम नंबर 0503/2024, धारा 498-A, 323, 504 IPC और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत पुलिस स्टेशन नैनी, जिला प्रयागराज मे दर्ज है, और आगे यह प्रार्थना की गई है कि याचिकाकर्ताओं को विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट के सिलसिले में गिरफ्तार न किया जाए।

:

,

Translated version. not for legal use

3. कोऑर्डिनेट बेंच ने दिनांक 12.09.2024 के आदेश द्वारा निम्नलिखित प्रभाव का विस्तृत आदेश पारित किया था:

"1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और राज्य प्रतिवादियों के विद्वान अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि इस मामले की जड़ में वैवाहिक विवाद है और पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौते की संभावना है।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने पुरजोर आग्रह किया है कि इस मामले को मध्यस्थता और सुलह केंद्र, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को भेजा जाए ताकि मुकदमेबाजों को मध्यस्थता के माध्यम से अपनी शर्तों पर अपने विवाद को निपटाने का मौका मिल सके।

4. न्यायालय रिकॉर्ड और उसके समक्ष प्रस्तुत दलीलों के आधार पर संतुष्ट है कि मुकदमे की प्रकृति ऐसी है कि सुलह की प्रक्रिया के माध्यम से मामले को हल करने की संभावना मौजूद है और उस संभावना का पता लगाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

5. तदनुसार, मामले को मध्यस्थता और सुलह केंद्र, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को भेजा जा रहा है। याचिकाकर्ता चार सप्ताह के भीतर मध्यस्थता और सुलह केंद्र, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में 20,000/- रुपये जमा करेंगे। यदि राशि जमा की जाती है, तो मध्यस्थता और सुलह केंद्र, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद दोनों पक्षों को दो सप्ताह की अवधि के भीतर वापसी योग्य नोटिस जारी करेगा। उक्त राशि में से, 15,000/-

Translated version. not for legal use

रुपये प्रतिवादी संख्या 4 को भरण-पोषण और खर्चों को पूरा करने के लिए भुगतान किए जाएंगे। मध्यस्थ को पक्षों के बीच विवाद का संभावित समाधान खोजने और मध्यस्थता के परिणाम के संबंध में अपनी रिपोर्ट न्यायालय को भेजने के लिए दो महीने का समय दिया गया है।

6. इस मामले को 19.11.2024 को मध्यस्थ की रिपोर्ट के साथ उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें।

7. तब तक, याचिकाकर्ताओं को दिनांक 04.08.2024 की विवादित एफ.आई.आर. के अनुसरण में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जो केस अपराध संख्या 0503/2024, धारा 498 ए, 323, 504 आईपीसी और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4, पुलिस स्टेशन नैनी, जिला प्रयागराज के तहत दर्ज है, बशर्ते याचिकाकर्ता ऊपर निर्देशित राशि जमा करने की रसीद वर्तमान आदेश के साथ दाखिल करें।

8. यह यह साफ़ किया जाता है कि ऊपर बताए गए अनुसार रकम जमा करने में डिफ़ॉल्ट होने पर या याचिकाकर्ताओं के मध्यस्थता कार्यवाही में भाग न लेने पर, अंतरिम रोक आदेश अपने आप रद्द हो जाएगा।

9. इस मामले को इस बेंच के साथ जुड़ा हुआ या आंशिक रूप से सुना गया नहीं माना जाएगा।"

4. चूंकि मामला वैवाहिक विवाद से संबंधित है, इसलिए कोऑर्डिनेट बेंच ने 12.09.2024 के आदेश के माध्यम से मामले को इस न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र में भेज दिया था और रजिस्ट्रार/प्रभारी, AHCMCC द्वारा 28.01.2024 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, पार्टियों ने

:

,

Translated version, not for legal use

पहले ही 25.01.2025 के निपटारा समझौते के अनुसार मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है।

5. यह संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि विवाद 25.01.2025 के निपटारा समझौते के तहत सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है, इसलिए लंबित कार्यवाही का कोई उद्देश्य नहीं होगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **बी.एस. जोशी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 2003(4) SCC 675** और **ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, 2012(10) SCC 303** के मामलों में दिए गए निर्णयों के आलोक में उन्हें रद्द किया जाना चाहिए। इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के 16.9.2022 के आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 8510/2022 (**अनुज पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**) के निर्णय पर भी भरोसा किया गया है, जिसमें यह देखा गया है कि उच्च न्यायालय के पास अपने अंतर्निहित क्षेत्राधिकार के तहत पहली सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की पर्याप्त शक्ति है, जिसमें पार्टियों ने अपने विवादों को सुलझा लिया है जो निजी प्रकृति के हैं और समाज पर उनका कोई गंभीर प्रभाव नहीं है। अदालतों के साथ-साथ जांच एजेंसियों का समय बहुत कीमती है जिसे किसी भी व्यर्थ कार्यवाही में बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए जहां दोषसिद्धि की संभावना कम है।

6. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने **ज्ञान सिंह (सुप्रा)** मामले में पैरा-61 में यह फैसला दिया है कि;

> *"हाई कोर्ट की किसी क्रिमिनल कार्यवाही या FIR या शिकायत को रद्द करने की शक्ति, जो वह अपने स्वाभाविक अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करके करता है, कोड की धारा 320 के तहत अपराधों को कंपाउंड करने के लिए क्रिमिनल कोर्ट को दी गई शक्ति से अलग और भिन्न है। स्वाभाविक शक्ति बहुत व्यापक होती है और उस पर कोई*

Translated version: not for legal use

कानूनी सीमा नहीं होती, लेकिन इसका इस्तेमाल ऐसी शक्ति में बताए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए, जैसे; (i) न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करना या (ii) किसी भी कोर्ट की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना। किन मामलों में क्रिमिनल कार्यवाही या शिकायत या F.I.R को रद्द करने की शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां अपराधी और पीड़ित ने अपना विवाद सुलझा लिया है, यह हर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और कोई श्रेणी निर्धारित नहीं की जा सकती। हालांकि, ऐसी शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले, हाई कोर्ट को अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर उचित ध्यान देना चाहिए। मानसिक विकृति के जघन्य और गंभीर अपराध या हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराधों को उचित रूप से रद्द नहीं किया जा सकता, भले ही पीड़ित या पीड़ित के परिवार और अपराधी ने विवाद सुलझा लिया हो। ऐसे अपराध प्रकृति में निजी नहीं होते हैं और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। इसी तरह, विशेष कानूनों जैसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों या सार्वजनिक कर्मचारियों द्वारा उस क्षमता में काम करते समय किए गए अपराधों के संबंध में पीड़ित और अपराधी के बीच कोई भी समझौता; ऐसे अपराधों से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का कोई आधार प्रदान नहीं कर सकता है। लेकिन जिन आपराधिक मामलों में मुख्य रूप से और प्रमुख रूप से दीवानी प्रकृति होती है, वे रद्द करने के उद्देश्यों के लिए अलग स्थिति में होते हैं, विशेष रूप से वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, नागरिक, साझेदारी या ऐसे ही लेनदेन से उत्पन्न होने वाले अपराध या दहेज से संबंधित विवाह से उत्पन्न होने वाले अपराध, आदि या पारिवारिक विवाद जहां गलती मूल रूप से निजी या व्यक्तिगत प्रकृति की होती है और

:

,

Translated version, not for legal use

पार्टियों ने अपना पूरा विवाद सुलझा लिया है। इस श्रेणी के मामलों में, हाई कोर्ट आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है यदि उसकी राय में, अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के कारण, दोषसिद्धि की संभावना बहुत कम है और आपराधिक मामला जारी रखने से आरोपी को बहुत उत्पीड़न और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा और पीड़ित के साथ पूर्ण और पूर्ण निपटान और समझौते के बावजूद आपराधिक मामला रद्द न करने से उसे अत्यधिक अन्याय होगा। दूसरे शब्दों में, हाई कोर्ट को यह विचार करना चाहिए कि क्या यह अनुचित होगा या हित के विपरीत होगा न्याय के लिए आपराधिक कार्यवाही जारी रखना या आपराधिक कार्यवाही जारी रखना, पीड़ित और गलत काम करने वाले के बीच समझौते के बावजूद कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और क्या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए, यह उचित है कि आपराधिक मामले को समाप्त कर दिया जाए और यदि उपरोक्त प्रश्न (प्रश्नों) का उत्तर सकारात्मक है, तो उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के अपने अधिकार क्षेत्र में होगा।"

7. चूंकि पक्षों के बीच विवाद पहले ही 25.01.2025 के समझौते के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है, इसलिए लंबित कार्यवाही का कोई उद्देश्य नहीं होगा और उपरोक्त निर्णयों के आलोक में उन्हें रद्द किया जाना चाहिए।

8. **रिट याचिका स्वीकार की जाती है** और **दिनांक 04.08.2024 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की कार्यवाही,** जो केस अपराध संख्या 0503/2024 के रूप में धारा 498-ए, 323, 504, आई.पी.सी. और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत, पुलिस स्टेशन-नैनी, जिला-प्रयागराज में पंजीकृत है, **रद्द की जाती** है।

:

,

Translated version: not for legal use

आदेश दिनांक : 24.03.2025

NLY

(माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार) **(माननीय न्यायमूर्ति महेश चन्द्र त्रिपाठी)**

Translated version. not for legal use

:

,